भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 631

29 नवंबर, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहल

631. श्री बृज लाल:
डॉ. दिनेश शर्मा
क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इसके अन्य अपेक्षित परिणाम क्या है;

(ख) इस्पात पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के दायरे को बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज की तारीख तक सरकार द्वारा कौन-सी अन्य मुख्य पहलें कार्यान्वित की गई हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) वर्ष 2030-31 के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 में निम्नलिखित इस्पात उत्पादन/क्षमता की परिकल्पना की गई है:-

क्र.सं.	**मापदंड**	**अनुमान (2030 - 31)** **(मिलियन टन में)**
i	कुल कच्चा इस्पात क्षमता	300
ii	कुल कच्चा इस्पात उत्पादन	255
iii	कुल तैयार इस्पात उत्पादन	230
iv	स्पंज लौह मांग/उत्पादन	80
v	पिग आयरन मांग/ उत्पादन	17
vi	प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात खपत कि.ग्रा. में	158
स्रोत: एनएसपी, 2017		

जारी...2/-

(ख) सरकार ने इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) का विस्तार किया है जिसके द्वारा क्यूसीओ के तहत शामिल किए गए उत्पादों को बीआईएस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की आवश्यकता होती है। इससे उद्योग, प्रयोक्ताओं और आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू बाजार और आयात में निम्नस्तर/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के उपयोग पर रोक लगती है। आज की स्थिति के अनुसार, कार्बन इस्पात, मिश्रधातु इस्पात और स्टेनलेस स्टील को शामिल करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 151 भारतीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(ग) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान करके एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने देश में इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i. 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देना और निवेश संबंधी विस्तार:-

   क. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई और एसपी) नीति का कार्यान्वयन।

   ख. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का शुभारंभ किया गया। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 27,106 करोड़ रुपये है, जिससे लगभग 24 मिलियन टन का डाउनस्ट्रीम क्षमता निर्माण और 14,760 का प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है।

   ग. केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2024-25 में घोषित 11,11,111 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय ने अवसंरचनात्मक विस्तार पर बल दिया है, जिससे इस्पात की खपत में वृद्धि हुई है।

ii. कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार और कच्चे माल की लागत में कमी:-

   क. फैरो निकेल जो एक कच्चा माल है पर आधारभूत सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना और इसे शुल्क मुक्त बनाना।

   ख. बजट 2024 में फैरस स्क्रैप पर शुल्क संबंधी छूट का विस्तार 31 मार्च 2026 तक करना।

   ग. घरेलू स्तर पर उत्पन्न लौह स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

जारी....3/-

iii. आयात निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण:-

क. घरेलू इस्पात उद्योग को आयातों पर विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए आयातों की प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में सुधार करना।

ख. उद्योग, प्रयोक्ताओं और आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू बाजार में निम्न स्तर/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के साथ-साथ आयातों पर प्रतिबंध लगाकर इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को लागू करना। आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम प्रयोक्ताओं को केवल प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले इस्पात ही उपलब्ध कराए जाएं। आज की स्थिति के अनुसार, कार्बन इस्पात, मिश्रधातु इस्पात और स्टेनलेस इस्पात को शामिल करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 151 भारतीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।

iv. अन्य उपाय:-

क. शीघ्र सांविधिक मंजूरियों के लिए मंत्रालयों और राज्यों तथा अधिक अनुकूल शर्तों पर इस्पात विनिर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए अन्य देशों के साथ समन्वय स्थापित करना।

******